

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल,दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 30.01.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री सचिन त्रिपाठी, पुत्र श्री राधेश्याम त्रिपाठी (SHRI SACHIN TRIPATHI S/O SHRI RADHESHYAM TRIPATHI) (ई.डब्ल्यू.एस/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त मेरिट/चयन सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवार्य बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 30.01.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त "एक वर्षीय डिप्लोमा" गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।


(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/4/25

पृ.क्रमांक/ 1452 /नग्रानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रीवा ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. श्री सचिन त्रिपाठी, पुत्र श्री राधेश्याम त्रिपाठी, निवासी- जीएच-133, दीन दयाल नगर, ग्वालियर (म0प्र0) 474020 मोबाईल नम्बर 9039938414
7. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
8. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नगानि/2025

भोपाल,दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 30.01.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री चन्द्रप्रकाश रघुवंशी, पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह (SHRI CHANDRAPRAKASH RAGHUWANSHI S/O SHRI NARENDRA SINGH) (अनारक्षित/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त मेरिट/चयन सूची में अर्जित प्राप्तकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवार्य बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

7

-2-

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 30.01.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त "एक वर्षीय डिप्लोमा" गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रीस्टर संधारित किया गया है।

और

(श्रीकांत बनोठ)


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/4/25

पृ.क्रमांक/1448 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उज्जैन।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. श्री चन्द्रप्रकाश रघुवंशी, पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी- 32, ग्राम शाहबाजपुर, पोस्ट तुमेन, अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म0प्र0) 473331 मोबाईल नम्बर 7747950285
7. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
8. व्यक्तिगत नस्ती/रीस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।



आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

₹ म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल
Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 30.01.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री जितेन्द्र कुमार दोहरे, पुत्र श्री श्रवण कुमार (SHRI JITENDRA KUMAR DOHARE S/O SHRI SHRAVAN KUMAR) (अनुसूचित जाति/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त मेरिट/चयन सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवार्य बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 30.01.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त "एक वर्षीय डिप्लोमा" गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/4/25

प.क्रमांक/1446/नग्रानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सागर।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
6. श्री जितेन्द्र कुमार दोहरे, पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी- ए-8 गौतम नगर, 60 फुट रोड, मुरार ग्वालियर (म0प्र0) 474006 मोबाईल नम्बर 9713907075
7. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
8. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।



आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल
Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नग्रानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 30.01.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री रोहित बाबू पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार (SHRI ROHIT BABU S/O SHRI NARENDRA KUMAR) (अनारक्षित/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त मेरिट/चयन सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 30.01.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त "एक वर्षीय डिप्लोमा" गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ ¹⁴⁵⁰ /नग्रानि/स्था/2025

भोपाल, दिनांक 4/4/25

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
6. श्री रोहित बाबू, पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी- 63 ए/8/11 जी, सीओडी रोड, सरस्वती कुंज, आगरा कैंट, आगरा (30प्र0) 282001 मोबाईल नम्बर 9149273288
7. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
8. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

उपरोक्त
upload website

Arathy
08/04/25

Arathy
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल